प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 31.08.2024

- **जनपद कानपुर देहात में अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही के क्रम में थाना अकबरपुर पुलिस को मिली सफलता।**
- **थाना अकबरपुर क्षेत्र के ग्राम कृपालपुर (डेरा) में डी0जे0 पर नाचने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या करने की घटना में शामिल 02 नफर फरार अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद डण्डा बरामद किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान "जागते रहो" के क्रम में थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 26.08.2024 को ग्राम कृपालपुर में चल रहे श्रीकृष्णजन्माष्टमी के कार्यक्रम में बज रहे डी0जे0 पर नाचने को लेकर लड़ाई झगड़े के विवाद में अवधेश पुत्र बादाम सिंह की पीट-पीट कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में मृतक की माता द्वारा दी गयी तहरीर पर मु0अ0स0 401/2024 धारा 333/103/3(5) बीएनएस बनाम 1. वीरेन्द्र पुत्र अजब सिंह, 2. ओमकार पुत्र अजब सिंह, 3. राजू पुत्र बीरेन्द्र, 4. राजेश पुत्र बीरेन्द्र, 5. पिन्टू पुत्र स्व0 रमेश, 6. विपिन पुत्र स्व0 रमेश, 7. गोविन्द पुत्र लेजम सिंह, 8. मुनि उर्फ राहुल पुत्र ओमकार समस्त निवासीगण कृपालपुर (डेरा) थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 31.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर फरार अभियुक्तों में से 02 नफर अभियुक्तगण 1. ओमकार पुत्र अजब सिंह व 2. वीरेन्द्र पुत्र अजब सिंह उपरोक्त को ग्राम तिवारीपुर पुल से 200 मीटर की दूरी पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र अजब सिंह की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद डण्डे को बरामद किया गया। शेष अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु दो टीमें गठित कर तलाश की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र अजब सिंह उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि घटना की रात्रि में अवधेश काफी शराब पीये हुए था और डीजे पर आकर डांस करते हुए गाली गलौज करने लगा, हम लोगों ने भी थोड़ी शराब पी रखी थी तो गुस्से में पास में ही पड़े डंडे से अवधेश की पिटाई शुरू कर दी और साथ में परिवार वालों ने भी हाथों पैरों से मारा था। जब अवधेश बिल्कुल मरणासन्न हालत में हो गया तो हम डर गये और वहां से

चले गये। मैनें जिस डंडे से मारा था उसको ले जा कर तिवारीपुर पुल के अन्डर पास से जाकर दूसरी तरफ झाड़ियों में फेंक दिया था।

अभियुक्त ओमकार से यह पूछने पर कि आपको मृतक के परिवारीजन व अन्य लोगों ने मृतक अवधेश को फावड़े से मारते हुए देखा जाना बताया है तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं बीपी, शुगर व सांस फूलने का मरीज हूँ, मैनें थप्पड़ों से अवधेश को मारा था। फावड़े के सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है अगर और किसी ने उससे मारा हो तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-</u>

1. ओमकार पुत्र अजब सिंह निवासी वार्ड न0 03 शिवाजीनगर ,कृपालपुर डेरा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।
2. वीरेन्द्र पुत्र अजब सिंह निवासी वार्ड न0 03 शिवाजीनगर ,कृपालपुर डेरा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात।

<u>गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0स0 401/2024 धारा 333/103/3(5) बी0एन0एस0 थाना अकबरपुर कानपुर देहात।

<u>बरामदगी-</u>

1. घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद डण्डा।

<u>गिरफ्तार करने वाली थाना अकबरपुर पुलिस टीम -</u>

1. प्र0नि0 श्री सतीश कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री मथुरा प्रसाद
3. हे0का0 307 अखिल प्रताप सिंह
4. का0 04 पवनजीत सिंह